भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2075

उत्तर देने की तारीख : 12.02.2026

एमएसएमई को प्रभावित करने वाले गुणवत्ता नियंत्रण आदेश

2075. एडवोकेट प्रिया सरोजः
सुश्री इकरा चौधरीः
श्री पुष्पेंद्र सरोजः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2024-25 के दौरान उत्तर प्रदेश में एमएसएमई-प्रधान गैर-वस्त्र उत्पाद श्रेणियों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के लागू किए जाने की समीक्षा की है;

(ख) राज्य में स्थानीय एमएसएमई को बीआईएस प्रमाणन, परीक्षण तथा प्रक्रिया उन्नयन के संदर्भ में क्या अनुपालन करने पड़ रहे हैं और उन्हीं श्रेणियों में आयातित अथवा अनौपचारिक रूप से व्यापारिक वस्तुओं के विरुद्ध ऐसी कौन सी समान प्रवर्तन कार्रवाई की गई है;

(ग) गुणवत्ता नियंत्रण आदेश संबंधी अधिसूचनाओं के जारी होने के पश्चात् उत्तर प्रदेश में गैर-अनुपालक वस्तुओं के प्रचलन के संबंध में प्राप्त शिकायतों का उत्पाद श्रेणी-वार एवं ज़िला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) असमान प्रवर्तन के कारण अनुपालक एमएसएमई की मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता, क्षमता उपयोग तथा व्यवहार्यता पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) उत्तर प्रदेश में एमएसएमई के लिए समान प्रवर्तन तथा समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु सीमा शुल्क जांच, बाजार संबंधी निगरानी, परीक्षण अवसंरचना तथा अंतर-एजेंसी समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ङ) : भारत सरकार उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो के माध्यम से एमएसएमई के लिए छूट/रियायत के साथ मंत्रालयों द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) का चरणबद्ध रूप में कार्यान्वयन करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गुणवत्ता नियत्रंण आदेश (क्यूसीओ) घरेलू उत्पादन को बाधित न करे।

एमएसएमई को अनुपालन बोझ की सुगमता के लिए एमएसएमई को कुछ वित्तीय और तकनीकी छूट प्रदान की जा रही है, उनमें से कुछ निम्नानुसार है:

- एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए बीआईएस द्वारा वार्षिक न्यूनतम मार्किंग शुल्क में 80% (सूक्ष्म स्तर की इकाइयों के लिए), 50% (लघु स्तर की इकाइयों के लिए) और 20% (मध्यम स्तर की इकाइयों के लिए) की रियायत के साथ वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। वे इकाइयां जो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अवस्थित हैं या महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसएमई इकाइयां हैं, उन्हें 10% की अतिरिक्त रियायत भी प्रदान की जाती है।
- सभी निर्माताओं विशेष रूप से एमएसएमई इकाइयों के लिए पूर्ववर्ती अनिवार्य अपेक्षाओं के लिए इन-हाउस प्रयोगशाला में छूट प्रदान की गई है।

- घरेलू निर्माताओं के लिए, देश में सभी शाखा कार्यालयों (बीओ) में उत्पाद प्रमाणन में सम्मिलित गतिविधियों और प्रक्रियाओं के संचालन को डिजिटलीकृत किया गया है। उत्पाद प्रमाणन गतिविधियों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म "मानक ऑनलाइन" पहले से ही उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आवेदन जमा करने के चरण से लेकर प्रमाणन प्रदान करने तक संचार, भुगतान, प्रश्नों और जिज्ञासाओं सहित सभी सुविधाएं पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई गई हैं। प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण भी बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ऑटोमेटिक कर दिया गया है। निर्माता अपनी सुविधा के अनुसार नवीनीकरण आवेदन जमा कर सकता है और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, प्रमाणन की वैधता बढ़ाने के लिए नवीनीकरण पृष्ठांकन सृजित हो जाता है।
- बीआईएस विभिन्न भारतीय मानकों के अनुसार अनुकूलता मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शी दस्तावेज के रूप में उत्पाद मैनुअल जारी करता है। इन उत्पाद मैनुअल में निरीक्षण और परीक्षण की योजना (एसआईटी) भी शामिल है जिसमें निर्माता द्वारा किए जाने वाले नियंत्रण और जांच निर्दिष्ट किए गए हैं। निर्माता के पास अपनी स्वयं की नियंत्रण इकाई/ बैच/लॉट और नियंत्रण के अपने स्तर को परिभाषित करने और बीआईएस को सूचित करने का विकल्प है।
- बीआईएस द्वारा लक्षित जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम अर्थात् (i) मानक संवाद (ii) मानक मंथन और (iii) स्थानीय स्तर पर उद्योग के लिए कैप्सूल पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए हैं, जो मानकों को लागू करने के उपायों और बीआईएस प्रमाणन प्राप्त करने पर पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

इसके अतिरिक्त; परीक्षण संबंधी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए, राष्ट्रीय परीक्षण गृह (एनटीएच) देश भर में सभी एनटीएच प्रयोगशालाओं में सभी पंजीकृत एमएसएमई ग्राहकों को परीक्षण शुल्क पर 15% की छूट दे रहा है।

जैसाकि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा सूचित किया गया है, वित्त वर्ष 2024-25 में बीआईएस द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 24 तलाशी और जब्ती अभियान चलाए गए थे। उल्लंघनकर्ताओं पर मुकदमा चलाने के लिए माननीय न्यायालय में कार्रवाई आरंभ की गई है।

विगत पांच वर्षों में, क्यूसीओ के तहत बीआईएस-चिह्नित उत्पादों की खराब गुणवत्ता के बारे में 49 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उत्पाद-वार और जिला-वार वितरण अनुबंध-क में दिया गया है।

बाजार निगरानी के संबंध में, बीआईएस लाइसेंस धारकों के लिए, उच्च गैर-अनुपालन क्षेत्रों और बड़े पैमाने पर खपत वाली वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है। गैर-अनुपालन वाले ऐसे उत्पादों के लिए, प्रारंभिक दृष्टिकोण में बीआईएस नियमों और विनियमों के अनुसार किसी भी कार्रवाई की शुरुआत से पहले मानकों के अनुपालन के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना है। गैर-बीआईएस लाइसेंस धारकों के लिए, बीआईएस व्यक्तियों और ऑनलाइन विपणन संस्थाओं द्वारा बीआईएस मानक चिह्न के दुरुपयोग या क्यूसीओ के उल्लंघन के मामलों की जांच करता है। इस जांच में उल्लंघन का पता लगाने के लिए तलाशी और जब्ती अभियान और उसके बाद उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ अदालतों में कानूनी मामला दायर करना शामिल है।

*****

अनुबंध-क

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2075, जिसका उत्तर दिनांक 12.02.2026 को दिया जाना है, के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

उत्पाद-वार

क्र.सं.	उत्पाद	शिकायतों की संख्या
1	पशु आहार	3
2	सोना	6
3	पानी	11
4	प्लाईवुड	4
5	मास्क	1
6	कंक्रीट पाईप	1
7	हैलमेट	4
9	एचडीपीई पाईप	5
10	कागज	2
11	विद्युत उताप्द	8
12	वॉटर प्यूरिफायर	1
13	वायर्स और केबल्स	2
14	पेंट	1

जिला-वार

क्र.सं.	जिला	शिकायतों की संख्या
1	कानपुर	4
2	बांदा	1
3	अमेठी	1
4	गाजीपुर	1
5	लखनऊ	2
6	गौंडा	1
7	बलिया	1
8	मिर्जापुर	1
9	उन्नाव	1
10	प्रयागराज	1
11	गौतम बुद्ध नगर	15
12	गाजियाबाद	9
13	रामपुर	1
14	सहारनपुर	2
15	अलीगढ़	1
16	बरेली	2
17	आगरा	2
18	सिकंदराबाद	1
19	हाथरस	2